



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1943 (श10)

(सं० पटना 697) पटना, मंगलवार, 17 अगस्त 2021

सं० 08/आरोप-01-18/2020/7545-सां०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

26 जुलाई 2021

श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-619/11, वरीय उप समाहर्ता, भोजपुर, आरा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक-209 दिनांक 22.02.2021 द्वारा दिनांक 19.09.2020 को योगदान देकर अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, मोबाईल नं० जिले में उपलब्ध नहीं कराये जाने, विधान सभा आम निर्वाचन-2020 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यों के समय मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, स्वेच्छाचारिता एवं मनमाने तरीके से कार्य करने से संबंधित आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-5247 दिनांक 12.05.2021 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः उनके पदस्थापन स्थान एवं उनकी गृह पते पर भी स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु पत्राचार किया गया, किन्तु उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि स्मारित किये जाने के बावजूद भी श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है तथा उनपर लगाये गये आरोप को वे स्वीकार करते हैं।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-619/11, वरीय उप समाहर्ता, भोजपुर, आरा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लेखित निम्नांकित दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :-

(i) दो वर्षों के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 697-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>